न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 103 वर्ष 206

आवेदक	क्रेता
आवेदक–भूखल मांझी	क्रेता– रीता देवी वगैरह
ग्राम – सिल्लीसाडम	ग्राम– सिल्लीसाडम
थाना –कसमार जिला–बोकारो	थाना –कसमार जिला– बोकारो

आदेश की सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
01	02	03

c.c. issued
[illegible]/12/17

आदेश

यह वाद आवेदक भूखल मांझी पिता स्व0 दुन्दु मांझी ग्राम सिल्लीसाडम थाना कसमार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
						कृषि योग्य
सिल्लीसाडम	61	05	291	70 डी0	30 डी0	

को वे घर बनाने एवं बीमारी की ईलाज हेतु मो0 1,80,000/– (एक लाख अस्सी हजार) रूपये में क्रेतागण–01.रीता देवी पति लालदेव मांझी 02. मोली देवी पति बोधन मांझी दोनों का ग्राम सिल्लीसाडम थाना –कसमार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 650/रा0 दिनांक 14.12.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 440 दिनांक 07.10.2017 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेतागण दोनो संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केतागण दोनों ग्राम सिल्लीसाडम थाना कसमार एवं जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में सोना मांझी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी रूपाय मांझी के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0–01/110A में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि पैतृक संपति है।
03. खतियानी रैयत जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता के परदादा का संबंध है। बिकी वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने

ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज सोना मांझी के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी रूपाय मांझी के नाम से चल रही है बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेतागण का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता–रसीका मांझी के नाम सर्व खतियान की छायाप्रति तथा रूपाय मांझी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेतागण– स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेतागण दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथां बिकेता एवं केतागण दोनो एक ही ग्राम, थाना, जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक भूखल मांझी पिता स्व0 दुन्दु मांझी ग्राम सिल्लीसाडम थाना कसमार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
सिल्लीसाडम	05	291	70 डी0	30 डी0	रोड	लखी मांझी वो सोमल मांझी	मंगल मांझी	विश्वनाथ मांझी वाके

30 (तीस) डिसमिल जमीन मात्र।

मो0 1,80,000/– (एक लाख अस्सी हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेतागण– 01.रीता देवी पति लालदेव मांझी 02.मोली मांझी पति बोधन मांझी दोनों का ग्राम सिल्लीसाडम, थाना कसमार –जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

14/10/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

14/10/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 07:11:27 -08:00
Location: 192.168.1.35